

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न सं0 765  
06 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

**ih,e,okbZ ds varxZr izLrkfor vkokl**

765- Jh foulsaV ,pñ ikyk%

D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ izèkkuea=h vkokl ;kstuk&'kgjh ds izR;sd pj.k ds rgr izLrkfor dqy vkoklksa dh la;k D;k gS vkSj gkfly fd, x, y{; D;k gSa( ¼k½ izR;sd pj.k ds nkSjku fdruh èkujkf'k vkcafVr vkSj tkjh dh xbZ(

¼x½ ih,e,okbZ ds varxZr izR;sd vkokl ds fy, pj.k&okj dqy fdrus ykHkkFkhZ gSa( vkSj

¼?k½ 'kgjh Hkkjr esa fdrus vkokl dh deh gS rFkk o"kZ 2015 ls fdruh izfr'kr vko';drk dks iwjk fd;k x;k gS\

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

(क) से (घ) : सरकार के वर्ष 2022 तक "सब के लिए आवास" के लक्ष्य के अनुसरण में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में आवासीय आवश्यकता के समाधान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का कार्यान्वयन कर रहा है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आवास की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए स्कीम के अंतर्गत मांग सर्वेक्षण करवाया है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अब तक सूचित की गई वैध मांग लगभग 112 लाख है ।

स्कीम के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर कुल 1,03,22,560 आवासों की संस्वीकृति दी गई है, जो पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित की गई आवासों की वैध मांग का लगभग 92% है । स्वीकृत आवासों में से, 60,50,991 निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और 32,07,573 पूरे कर लिए गए हैं/सौंप दिए गए हैं ।

1,63,160.86 करोड़ ₹ की केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की गई है; इसमें से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक 63,676.50 करोड़ ₹ जारी किए जा चुके हैं ।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रत्येक घटक के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए संस्वीकृत आवासों की संख्या निम्नानुसार है :

घटक	संस्वीकृत आवासों की संख्या
स्वस्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)	4.62 लाख
भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी)	28.03 लाख
लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण अथवा संवर्धन (बीएलसी)	62.15 लाख
ऋण आधारित आर्थिक सहायता (सीएलएसएस)	8.42 लाख

----